पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड के सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रीय राज्य मार्ग–07 (पुराना–58) बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की योजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1. श्री रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डा0 बी0बी0आर0सी0 पुरूषोतम, सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौडी।
6. श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– श्री बद्रीनाथ धाम में क्षेत्रान्तर्गत मास्टर प्लान के अनुरूप क्षेत्र में यात्रियों की सुविधाओं एवं पर्यटन विकास के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (पुराना मार्ग–58) के बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण सी0एस0आर0 मद (कोल इण्डिया लिमिटेड) में प्रस्तावित किया गया है। यह क्षेत्र देश का सीमान्त क्षेत्र होने के कारण सामरिक एवं सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से भी यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा करायी जानी है।

3. **योजना प्राविधान** :– परियोजना में निम्न प्राविधान किये गये है :–
   1. 1.725 कि0मी0 लम्बाई में पहाड कटान तथा भरान का कार्य।
   2. दीवार निर्माण का कार्य।
   3. स्लैब कल्वर्ट/स्कपर का निर्माण कार्य।
   4. मक डिस्पोजल का कार्य।
   5. पक्की नाली का निर्माण कार्य।
   6. रोड फर्नीचर का कार्य।
   7. पैरापिट का कार्य।
   8. जी0एस0बी0, डब्ल्यू0एम0एम0 का कार्य।
   9. डी0बी0एम0बी0सी0 का कार्य।

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**

4.1 आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.10.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें बाईपास मार्ग लागत धनराशि रू0 1837.32 लाख को व्यय वित्त समिति में के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गयी।

Pant

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4.2 बाईपास मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लोक निर्माण अनुभाग–2 के आदेश संख्या–907(1)/III(2)/2021–04(MLA)–2017 टी0सी0–3 दिनांक 30 मार्च, 2021 द्वारा लागत रू0 119.48 लाख प्रदान की गयी है, जिसमें एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, utility Shifiting आदि मदों का प्राविधान निहित है।

4.3 योजना स्थल का Soil Investigation and Geo Tehcnical Appraisal का कार्य Technical Consultancy Service, Dehradun द्वारा दिनांक 13.03.2021 से 24.03.2021 के मध्य किये गये स्थल Investigation के आधार पर किया गया है।

4.4 कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग कार्य प्रारम्भ से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

4.5 कार्य स्थल के मिटटी की सी0बी0आर0 12 प्रतिशत एवं यातायात घनत्व 1341 सी0वी0पी0डी0 आंकलित किया गया है।

4.6 मार्ग के क्रस्ट की कुल मोटाई 545 एम0एम0 (GSB-200 mm, WMM-250 mm, DBM-55mm and BC-40 mm) ली गयी है।

4.7 मार्ग निर्माण दो लेन में Paved Shoulder के साथ 10 मीटर चौडाई में प्रस्तावित किया गया है।

4.8 आगणन में दरें एस0ओ0आर0–2021–22 एवं डी0एस0आर0– 2018 (बद्रीनाथ में 33 प्रतिशत) इन्डेक्स सहित ली गयी है।

4.9 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Particular	Amount
	Construction of Shri Badrinath Bypass Motor Road	1545.70 (SOR-Rs 1540.93 lakh + DSR-Rs 4.77 lakh)
	Less :- Muck Disposal	21.27
	Total Cost Excluding Muck Disposal	1524.43
	Add 3% for Maintenance cost on (Rs 1524.43 lakh)	45.73
	Add 12% GST on SOR Items (Rs 1540.93 lakh)	184.91
	Add 4% contingency & Quality Control (Rs 1524.43 lakh)	60.98
	Total (Rs 1545.70 + Rs 45.73 + Rs 184.91+ Rs 60.98 lakh)	**1837.32**

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1837.32 लाख

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय** :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

सचिव, पर्यटन विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में रू0 1837.32 लाख को निम्न **निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया**:–

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.1 बाईपास मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लोक निर्माण अनुभाग-2 के आदेश संख्या-907(1)/III(2)/2021-04(MLA)-2017 टी0सी0-3 दिनांक 30 मार्च, 2021 द्वारा लागत रू0 119.48 लाख प्रदान की गयी है, जिसमें एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, utility Shifiting आदि मदों का प्राविधान निहित है। विभाग द्वारा प्रथम चरण के कार्यो हेतु स्वीकृति धनराशि का प्राविधानित मदों के अन्तर्गत उपभोग सुनिश्चित किया जाय।

5.2 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.3 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत-प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.4 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय-समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.5 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.6 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

5.7 आगणन में डी0एस0आर0 2018 (33 प्रतिशत इन्डेक्स सहित) एवं लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 2021-22 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.8 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरस पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.10 मार्ग का निर्माण Snow Prone Area में प्रस्तावित है, अतः समुचित जल निकास की दृष्टि से मार्ग की सतह एवं क्रास ड्रेनेज के कार्य efficient and Effective बनाये जाय ताकि मार्ग की बिटुमिन सतह बर्फ/पानी से खराब न हो।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1-5.10 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(डा0 बी0बी0आर0सी0 पुरूषोतम)
सचिव

क्रमशः पृष्ठ-4/-

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1511 /776/पर्यटन/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021—22
देहरादूनः दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव